## न्यायालयः न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरदारशहर जिला चूरू (राज.)

| | | |
|---|---|---|
| पीठासीन अधिकारी | : | **निधि बेनीवाल, आर.जे.एस.** |
| फौजदारी मूल प्रकरण संख्या | : | 17/2016 |
| सी.आई.एस. संख्या | : | 26/2016 |
| सी.एन.आर. संख्या | : | RJCH130000222016 |
| प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या | : | 557/2015 |
| पुलिस थाना | : | सरदारशहर |

**(10 वर्ष पुराना प्रकरण)**

राजस्थान राज्य

-- अभियोगी

बनाम

रामगोपाल पुत्र ओमप्रकाश, निवासी ढाणी देगां, पुलिस थाना सरदारशहर जिला चूरू (राज.)

-- अभियुक्त

## अपराध अन्तर्गत धारा 279, 337, 304ए भारतीय दंड संहिता

उपस्थितः-

1. विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी, राज्य की ओर से।
2. श्री महेन्द्र कुमार सींवर, विद्वान अधिवक्ता, अभियुक्त की ओर से।

| | |
|---|---|
| अपराध की दिनांक | 24.11.2015 |
| प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक | 24.11.2015 |
| आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाने की दिनांक | 04.01.2016 |
| आरोप विरचित किए जाने की दिनांक | 04.01.2016 |
| साक्ष्य आरंभ करने की दिनांक | 06.04.2021 |
| अभियुक्त की परीक्षा अंतर्गत धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता लेखबद्ध करने की दिनांक | 07.03.2026 |

**- निर्णय -** **दिनांकः 07 मार्च, 2026**

1. अभियोजन कहानी के अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 24.11.2015 को परिवादी आमीन ने एक लिखित प्रार्थना पत्र पुलिस थाना सरदारशहर में इस आशय का प्रस्तुत किया कि, प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक को करीब 02.00 बजे एक पिकअप गाड़ी संख्या आरजे10 जीए 7943 पर परिवादी तथा बिस्मिला, सुमैया, खतीजा, मुस्कान, फातमा व मदीना सवार हो गये। ड्राईवर गाड़ी को तेजगति व गफलत से चला रहा था। घड़सीसर से 4-5 कि.मी. दूरी पर गाड़ी पलट गई।

 Authenticated Document

परिवादी इन सब को दूसरी गाड़ी से अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां बिस्मिला व सुमैया को बीकानेर रैफर कर दिया गया तथा फातमा व मदीना को मृत घोषित कर दिया, इत्यादि। उक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना सरदारशहर में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 557/2015 दर्ज की गई तथा बाद सम्पूर्ण अनुसंधान अभियुक्त रामगोपाल के विरुद्ध आरोप अंतर्गत धारा 279, 337, 304ए भारतीय दंड संहिता में प्रमाणित मानकर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया, जिस पर अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. बहस चार्ज सुनकर अभियुक्त के विरुद्ध धारा 279, 337, 304ए भारतीय दंड संहिता का अपराध प्रथम दृष्टया बनना पाये जाने पर उपरोक्त धाराओं का आरोप सारांश मौखिक रूप से अभियुक्त को सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

3. प्रकरण में अभियुक्त का परिवादी आमीन, आहतगण खतीजा, सुमैया व बिस्मिला से राजीनामा होने से धारा 337 भारतीय दंड संहिता में राजीनामा की अनुमति प्राप्त कर राजीनामा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर उपरोक्त आहतगण की हद तक राजीनामा पृथक से तस्दीक किया जाता है।

4. अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में निम्नलिखित गवाहान को परीक्षित करवाया हैः–

| क्र.सं. | गवाह का नाम | गवाह संख्या | साक्ष्य की प्रकृति |
|---|---|---|---|
| 1. | नूर मोहम्मद | पी.डब्ल्यू.–1 | नक्शा मौका बाबत् |
| 2. | ओमप्रकाश | पी.डब्ल्यू.–2 | चार्जशीटकर्ता |
| 3. | डॉ. चंद्रभान | पी.डब्ल्यू.–3 | चिकित्सीय साक्षी |
| 4. | किशनलाल | पी.डब्ल्यू.–4 | अनुसंधान बाबत् |
| 5. | मोहम्मद ईदरीश | पी.डब्ल्यू.–5 | जब्तशुदा वाहन के मैकेनिकल मुआयना बाबत् |
| 6. | आमीन | पी.डब्ल्यू.–6 | परिवादी/चक्षुदर्शी साक्षी |
| 7. | खातीजा | पी.डब्ल्यू.–7 | आहता/चक्षुदर्शी साक्षी |
| 8. | सुमैया | पी.डब्ल्यू.–8 | आहता/चक्षुदर्शी साक्षी |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9. | इलियास | पी.डब्ल्यू.–9 | फर्द जब्ती वाहन बाबत् |
| 10. | बिस्मिला | पी.डब्ल्यू.–10 | आहता/चक्षुदर्शी साक्षी |
| 11. | सलीम | पी.डब्ल्यू.–11 | ताईद घटना |

5. अभियोजन पक्ष की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में निम्नलिखित दस्तावेजात को प्रदर्शित करवाया हैः–

| क्र.सं. | दस्तावेज का नाम | प्रदर्श संख्या |
|---|---|---|
| 1. | नक्शा मौका व हालात मौका घटनास्थल | प्रदर्श पी–1 व 1ए |
| 2. | पंचायतनामा मृतका मदीना | प्रदर्श पी–2 |
| 3. | पंचायतनामा लाश मृतका फातमा | प्रदर्श पी–3 |
| 4. | फर्द सुरत हाल लाश मृतका फातमा | प्रदर्श पी–4 |
| 5. | फर्द सुरत हाल लाश मदीना | प्रदर्श पी–5 |
| 6. | लिखित रिपोर्ट | प्रदर्श पी–6 |
| 7. | प्रथम सूचना रिपोर्ट | प्रदर्श पी–7 |
| 8. | आरोप पत्र | प्रदर्श पी–8 |
| 9. | चोट प्रतिवेदन क्रमशः आहत बिस्मिला, मुस्कान, खतीजा व सुमैया | प्रदर्श पी–9 ता प्रदर्श पी–12 |
| 10. | फर्द प्राप्ति लाश | प्रदर्श पी–13 |
| 11. | फर्द जब्ती वाहन बोलेरो पिकअप संख्या आरजे10 जीए 7943 | प्रदर्श पी–14 |
| 12. | धारा 133 मोटर यान अधिनियम का नोटिस | प्रदर्श पी–15 |
| 13. | मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट वाहन पिकअप संख्या आरजे10 जीए 7943 | प्रदर्श पी–16 |
| 14. | पुलिस बयान हाजी आमीन | प्रदर्श पी–17 |
| 15. | पुलिस बयान खतीजा | प्रदर्श पी–18 |
| 16. | पुलिस बयान सुमैया | प्रदर्श पी–19 |
| 17. | पुलिस बयान बिस्मिला | प्रदर्श पी–20 |
| 18. | पुलिस बयान सलीम | प्रदर्श पी–21 |
| 19. | पोस्ट–मार्टम रिपोर्ट मृतका फातिमा | प्रदर्श पी–22 |
| 20. | पोस्ट–मार्टम रिपोर्ट मृतका मदिना | प्रदर्श पी–23 |


Authenticated Document

6. अभियुक्त की परीक्षा अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत की गयी एवं अभियुक्त के विरुद्व आई साक्ष्य का स्पष्टीकरण लिया गया तो अभियुक्त ने अपने विरुद्व आई साक्ष्य को गलत कहते हुये कथन किये हैं कि, 'वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है।' अभियुक्त ने साक्ष्य सफाई पेश करना नहीं चाहा।

7. बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित गवाह के बयानों व प्रदर्शित दस्तावेजात से अभियुक्त के खिलाफ आरोपित अपराध साबित है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाकर समुचित दंड से दंडित किया जावे।

इसके विपरीत, उक्त तर्कों का खण्डन करते हुए न्यायालय के समक्ष विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने यह तर्क रखा है कि अभियुक्त को हस्तगत प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। पत्रावली पर पेश कर परीक्षित करवाये गये समस्त महत्वपूर्ण चक्षुदर्शी साक्षीगण न्यायलाय के समक्ष पक्षद्रोही घोषित हुए है, जिनके द्वारा अपनी साक्ष्य में अभियोजन कहानी की किंचन मात्र भी पुष्टि नहीं की गई है। अभियोजन पक्ष अपना मामला संपुष्टिकारक साक्ष्य प्रस्तुत कर साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। अंत में विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने अभियुक्त को दोषमुक्त घोषित किए जाने का निवेदन किया।

8. बहस अंतिम उभय पक्षकारान ध्यानपूर्वक सुनी गई, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया, संबंधित विधि का अवलोकन किया गया। प्रकरण के निस्तारण के लिए न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय बिन्दु है कि:–

(क) आया अभियुक्त रामगोपाल ने दिनांक 24.11.2015 को समय करीब 02.00 पी.एम. पर गांव घड़सीसर बस स्टेण्ड से चार–पांच किलोमीटर, लूणकरणसर से सरदारशहर जाने वाले लोकमार्ग पर वाहन पिकअप संख्या आरजे10 जीए 7943 को उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापित करते हुए उक्त वाहन को सड़क पर पलटा दिया और उक्त वाहन में सवार बिस्मिला, मुस्कान, खतीजा व सुमैया के शरीर पर उपहतियां कारित की एवं फातमा व मदीना की आपराधिक मानव वध की कोटी में नहीं आने वाली मृत्यु कारित की?

(ख) यदि हां तो उचित दण्ड क्या होगा ?


Authenticated Document

9. हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध को साबित करने हेतु अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 11 गवाहान को पेश कर परीक्षित कराया तथा प्रदर्श पी–1 से प्रदर्श पी–23 तक दस्तावेज प्रदर्शित कराये गये हैं। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत कराये गये साक्षीगण में गवाह **पी.डब्ल्यू.–1 नूर मोहम्मद** ने न्यायालय के समक्ष कथन किया है कि, मेरे बयान नहीं हुए। मौका नक्शा प्रदर्श पी–1 है, जिस पर ए से बी स्थान पर मेरे हस्ताक्षर है। प्रदर्श पी–1 मेरे सामने बनाया था। लाश पंचायतनामा मृतका मदीना व फातमा प्रदर्श पी–2 व प्रदर्श पी–3 है, जिस पर ए से बी स्थान पर मेरे हस्ताक्षर है। फर्द सुपुदर्गी लाश मृतका फातमा व मदीना प्रदर्श पी–4 व 5 है, जिस पर ए से बी स्थान पर मेरे हस्ताक्षर है। विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा के दौरान उक्त गवाह ने कथन किए हैं कि मैंने एक्सीडेंट होते हुए नहीं देखा। मुझे दुर्घटना की सूचना मिलने पर मैं तुंरत सरकारी अस्पताल सरदारशहर पहुंचा तब हमें पता चला कि अभी घायल पहुंचे नहीं तब में घटनास्थल की तरफ गया तो वहां पर भी घायल नहीं थे क्योंकि घायल अस्पताल आ गये थे।

गवाह **पी.डब्ल्यू.–2 ओमप्रकाश** ने न्यायालय के समक्ष कथन किए है कि दिनांक 24.11.2015 को मैं पीएस सरदारशहर में थानाधिकारी के पद पर तैनात था। उस रोज परिवादी आमीन ने एक लिखित परिवाद प्रदर्श पी–6 राजकीय अस्पताल सरदारशहर में किशनलाल एएसआई के समक्ष पेश किया। किशनलाल एएसआई ने ए से बी कार्यवाही पुलिस का पृष्ठांकन किया जिस पर सी से डी स्थानों पर परिवादी आमीन के हस्ताक्षर है, ई से एफ किशनलाल एएसआई के हस्ताक्षर है। थाना पहुंचकर उक्त परिवाद प्रदर्श पी–6 मेरे समक्ष पेश किया। मेरे द्वारा जी से एच मुकदमा दर्ज करने का पृष्ठांकन अंकित किया जिस पर आई से जे मेरे हस्ताक्षर है। कायमी एफआईआर प्रदर्श पी–7 है जिस पर ए से बी मेरे वसी से डी किशनलाल के हस्ताक्षर है। अनुसंधान किशनलाल एएसआई के सुपुर्द किया जिन्होने संपूर्ण अनुसंधान कर मुलजिम रामगोपाल पुत्र ओमप्रकाश के विरूद्ध जुर्म धारा 279, 337, 304ए भा.दं.सं. प्रमाणित मानकर पत्रावली मेरे समक्ष पेश की जिस पर मेरे द्वारा माननीय न्यायालय में उपरोक्त धाराओं में उपरोक्त मुलजिम के विरूद्ध चालान पेश किया। चार्जशीट प्रदर्श पी–8 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है।

गवाह **पी.डब्ल्यू.–3 डॉ. चंद्रभान** ने न्यायालय के समक्ष कथन किए है कि मैं दिनांक 24.11.2012 को राजकीय चिकित्सालय सरदारशहर में एमजे के पद पर कार्यरत था। उस रोज थाना सरदारशहर की तहरीर पर मजरूब बिस्मिला पत्नी युसुफ की शरीर पर आई चोटों का मुआयना किया जो इस प्रकार है– 1. निलगु का निशान व सूजन नीले रंग की दाए तरफ के छाती पर 6 गुणा 3 सेमी आकार। 2. खरोंच 4 गुणा 6 सेमी जांघ के अंदर के हिस्से पर जिस पर हल्का खून आया हुआ। दोनों चोटें साधारण प्रकृति की व कुंदाला कारित थी। चोटों की अवधि 12 घंटे की भीतर की थी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–9 है। जिस पर ए से बी मजरूब का पहचान चिन्ह व सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। उसी रोज मजरूब मुस्कान पुत्री फारूख के शरीर पर आई चोटों का मुआयना किया जो इस प्रकार है– 1. खरोच जैसा घाव नीले रंग का 7 गुणा 2 सेमी चमडी के अंदर गहरा बाई हाथ की बांह पर जिससे खून बह रहा था। चोट साधारण प्रकृति की व कुंदाला कारित थी। चोट की अवधि 12 घंटे के भीतर की थी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–10 है जिस पर ए से बी मजरूब के पहचान चिन्ह व सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। उसी रोज मजरूब खतीजा पत्नी मो. सुबान के शरीर पर आई चोटों का मुआयना किया जो इस प्रकार है– 1. निलगु बाए कंधे पर 2 गुणा 4 सेमी का घाव। 2. बाए घुटने पर हल्का दर्द जाहिर करती है जिस पर कोई सूजन व निलगु नहीं है। 3. बाए हाथ में हल्का दर्द महसुस कर रही है जिस पर कोई सूजन व निलगु नहीं है। सभी चोट साधारण प्रकृति की व कुंदाला कारित थी। चोट की अवधि 12 घंटे के भीतर की थी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–11 है जिस पर ए से बी मजरूब के पहचान चिन्ह व सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। उसी रोज मजरूब सुमैया पत्नी साबीर के शरीर पर आई चोटों का मुआयना किया जो इस प्रकार है– 1. निलगु घाव जिसका लाल व नीला रंग 6 गुणा 7 सेमी का सूजन सहित दाए हाथ की बांह पर। 2. सूजन व निलगु घाव 6 गुणा 4 सेमी व उपर से खरोच सूजन सहित कमर में एल३ जा एस 2 लेवल पर। सभी चोट साधारण प्रकृति की व कुंदाला कारित थी। चोट की अवधि 12 घंटे के भीतर की थी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–12 है जिस पर ए से बी मजरूब के पहचान चिन्ह व सी से डी मेरे हस्ताक्षर है।

गवाह **पी.डब्ल्यू.–4 किशनलाल** ने न्यायालय के समक्ष कथन किए है कि मैं दिनांक 24.11.2015 को मैं पीएस सरदारशहर में एएसआई के पद पर कार्यरत था।

 Authenticated Document

उस रोज सडक दुर्घटना की सूचना मिलने पर मैं राजकीय अस्पताल सरदारशहर पहुंचा जहां मुस्तगीस आमीन ने मुकदमा दर्ज करवाने का आवेदन प्रदर्श गी 6 मुझे दिया। जिस पर ई से एफ मेरे हस्ताक्षर है. ए से बी कार्यवाही पुलिस का अंकन है, जी से एच एफआईआर दर्ज करने का पृष्ठांकन है, आई से जे ओमप्रकाश गोदारा थानाधिकारी के हस्ताक्षर है। प्रकरण की तफतीश मेरे सुपुर्द की गई। दौराने तफतीश घटनास्थल पर पहुंचकर नक्शा मौका प्रदर्श पी–1 तैयार किया जिस पर ए से बी, सी से डी मोतबीरान व ई से एफ मेरे हस्ताक्षर है। हालात मौका प्रदर्श पी–1ए पर है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। मृतका मदीना का पंचनामा प्रदर्श पी–2 है जिस पर ए से बी, सी से डी, ई से एफ, जी से एच, आई से जे पंचान के तथा के से एल मेरे हस्ताक्षर है। मृतका फातमा का पंचनामा प्रदर्श पी–3 है जिस पर ए से बी, सी से डी. ई से एफ, जी से एच, आई से जे पंचान के तथा के से एल मेरे हस्ताक्षर है। मृतका मदीना की फर्द सुरत लाश प्रदर्श पी–5 है ए से बी, सी से डी मोतबीरान ई से एफ मेरे हस्ताक्षर है। मृतका फातमा का फर्द सुरत लाश प्रदर्श पी–4 है। बाद पोस्टमार्टम मृतकाओं की लाश उनके रिश्तेदारों को प्रदर्श पी–13 सुपुर्द की जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। फर्द जब्ती बोलेरो पीकअप आरजे 10 जीए 7943 प्रदर्श पी–14 है जिस पर ए से बी, सी से डी मोतबीरान व ई से एफ मेरे हस्ताक्षर है। पीकअप मालिक रामगोपाल को नोटिस धारा 133 एमवी एक्ट प्रदर्श पी–15 दिया जिस पर ए से बी मेरे व सी से डी रामगोपाल के हस्ताक्षर है. ई से एफ नोटिस का जवाब है जिसके अनुसार वरवक्त दुर्घटना पीकअप रामगोपाल ही चला रहा था। पीकअप का मेकेनिकल मुआयना रिपोर्ट प्रदर्श पी–16 है। पीएमआर व पीकअप के कागजात शामिल किए। चोट प्रतिवेदन शामिल किए। पीकअप की फोटो शामिल की। गवाह आमीन, खतीजा, सद्दाम, सुमैया, बिस्मिला, सलीम, फोटोग्राफर पवन कुमार के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किए। बाद तफतीश मुलजिम रामगोपाल के विरूद्ध जुर्म धारा 279, 337, 304ए भादस का अपराध प्रमाणित मानकर पत्रावली एसएचओ ओमप्रकाश गोदारा को सुपुर्द कर दी। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा के दौरान उक्त गवाह ने कथन किए हैं कि यह कहना सही है कि धारा 161 सीआर.पी.सी. में सभी गवाहान ने अपने बयानों में चालक का नाम नहीं बताया था। यह कहना सही है कि मैंने गवाहान के बयानों के आधार पर ही अभियुक्त के विरुद्ध अपराध प्रमाणित माना है।

 Authenticated Document

गवाह **पी.डब्ल्यू.–5 मोहम्मद ईदरीश** ने न्यायालय के समक्ष कथन किए है कि दिनांक 28.11.2015 को पुलिस लाईन चूरू में एमटीओ के पद पर कार्यरत था। उस रोज एसएचओ सरदारशहर के प्रतिवेदन पर पुलिस थाना सरदारशहर पहुंचकर मुकदमा नंबर 557/2015 में जब्त पीकअप नंबर आरजे 10 जीए 7943 का मैकेनिकल मुआयना थाना परिसर में खडी का किया था। पीकअप के आगे का मैन शीशा टुटा हुआ था। राइड साईड का मडगार्ड टुटा व मुचा हुआ था। राइड साइड का दरवाजा मुचा हुआ था। राइड साइड से बोनेट मुचा हुआ था। वाहन को चलाकर देखा तो सभी तकनीकी सिस्टम सही काम कर रहे थे। रिपोर्ट प्रदर्श पी–16 है जिस पर ए से बी मेरी रिपोर्ट होकर सी से डी मेरे हस्ताक्षर है।

गवाह **पी.डब्ल्यू.–6 आमीन** ने न्यायालय के समक्ष कथन किए है कि 2015 की बात है, मैं अपने गांव हरदेसर से घडसीसर शादी में गया हुआ था। शादी से वापस आने के लिए घडसीसर बस स्टेण्ड पर खड़े थे तभी एक पीकअप आई जिस पर हम किराया देकर अपने समान सहित सवार होकर हम अपने गांव आ रहे थे। रास्ते में पीकअप पलटा खा गई। पीकअप के नंबर क्या थे व पीकअप को कोन चला रहा था मुझे ध्यान नहीं है। विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा के दौरान उक्त गवाह ने कथन किए हैं कि यह कहना गलत है कि पीकअप नंबर आरजे 10 जीए 7943 के चालक रामगोपाल ने अपने वाहन को तेज गति व लापरवाही से चलाकर पीकअप को पलटा खिला दिया हो और जिस कारण पीकअप में सवार सवारियों के चोटे आई हो। यह कहना सही है कि रामगोपाल से मेरा राजीनामा हो गया है और लिखित में राजीनामा पेश कर दिया है। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा के दौरान उक्त गवाह ने कथन किए हैं कि यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–1 नक्शा मौका पर पुलिस ने मेरे खाली कागजों पर थाने में हस्ताक्षर कराए थे। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–14 फर्द जब्ती बोलेरो पीकअप पर पुलिस ने मेरे खाली कागजो पर हस्ताक्षर कराए थे।

गवाह **पी.डब्ल्यू.–7 खातीजा** ने न्यायालय के समक्ष कथन किए है कि 2015 की बात है, मैं अपने गांव हरदेसर से घडसीसर शादी में गई थी। शादी से वापस आने के लिए घडसीसर बस स्टेण्ड पर खड़े थे तभी एक पीकअप आई जिस पर हम


Authenticated Document

किराया देकर अपने समान सहित सवार होकर हम अपने गांव आ रहे थे। रास्ते में पीकअप पलटा खा गई। पीकअप के नंबर क्या थे व पीकअप को कोन चला रहा था मुझे ध्यान नहीं है। विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा के दौरान उक्त गवाह ने कथन किए हैं कि यह कहना गलत है कि पीकअप नंबर आरजे 10 जीए 7943 के चालक रामगोपाल ने अपने वाहन को तेज गति व लापरवाही से चलाकर पीकअप को पलटा खिला दिया हो और जिस कारण पीकअप में सवार सवारियों के चोटे आई हो। यह कहना सही है कि रामगोपाल से मेरा राजीनामा हो गया है और लिखित में राजीनामा पेश कर दिया है।

गवाह **पी.डब्ल्यू.–8 सुमैया** ने न्यायालय के समक्ष कथन किए है कि 2015 की बात है, मैं अपने रिश्तेदारों के यहां गांव हरदेसर से घडसीसर शादी में गई थी। शादी से वापस आने के लिए घडसीसर बस स्टेण्ड पर खड़े थे तभी एक पीकअप आई जिस पर हम किराया देकर अपने समान सहित सवार होकर हम अपने गांव आ रहे थे। रास्ते में पीकअप पलटा खा गई। पीकअप के नंबर क्या थे व पीकअप को कोन चला रहा था मुझे ध्यान नहीं है। विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा के दौरान उक्त गवाह ने कथन किए हैं कि यह कहना गलत है कि पीकअप नंबर आरजे 10 जीए 7943 के चालक रामगोपाल ने अपने वाहन को तेज गति व लापरवाही से चलाकर पीकअप को पलटा खिला दिया हो और जिस कारण पीकअप में सवार सवारियों के चोटे आई हो। यह कहना सही है कि रामगोपाल से मेरा राजीनामा हो गया है और लिखित में राजीनामा पेश कर दिया है।

गवाह **पी.डब्ल्यू.–9 इलियास** ने न्यायालय के समक्ष कथन किए है कि वर्ष 2015 में पुलिस ने बोलेरो पीकअप नंबर आरजे 10 जीए 7943 को मेरे सामने जब्त किया था जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी–14 पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा के दौरान उक्त गवाह ने कथन किए हैं कि यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–14 पर पुलिस ने मेरे सादे कागजो पर साईन कराए थे।

गवाह **पी.डब्ल्यू.–10 बिस्मिला** ने न्यायालय के समक्ष कथन किए है कि 2015 की बात है, मैं अपने गांव हरदेसर से घडसीसर शादी में गई थी। शादी से वापस आने के लिए घडसीसर बस स्टेण्ड पर खड़े थे तभी एक पीकअप आई जिस पर हम

किराया देकर अपने समान सहित सवार होकर हम अपने गांव आ रहे थे। रास्ते में पीकअप पलटा खा गई। पीकअप के नंबर क्या थे व पीकअप को कोन चला रहा था मुझे ध्यान नहीं है। विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा के दौरान उक्त गवाह ने कथन किए हैं कि यह कहना गलत है कि पीकअप नंबर आरजे 10 जीए 7943 के चालक रामगोपाल ने अपने वाहन को तेज गति व लापरवाही से चलाकर पीकअप को पलटा खिला दिया हो और जिस कारण पीकअप में सवार सवारियों के चोटे आई हो। यह कहना सही है कि रामगोपाल से मेरा राजीनामा हो गया है और लिखित में राजीनामा पेश कर दिया है। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा के दौरान उक्त गवाह ने कथन किए हैं कि सद्धाम मेरा भांजा लगता है जो अभी विदेश रहता है और आने वाले दो चार साल वह विदेश ही रहेगा।

गवाह **पी.डब्ल्यू.–11 सलीम** ने न्यायालय के समक्ष कथन किए है कि 2015 की बात है। मेरे भतीजे नवाब की शादी थी जिसमें मेरे रिश्तेदार खातीजा, आमीन, सुमैया, मदीना, बिस्मिल्ला व अन्य कई आए हुए थे जो शादी से रवाना होकर अपने घर जा रहे थे। शादी से वापस आने के लिए घडसीसर बस स्टेण्ड पर खड़े थे तभी एक पीकअप आई जिस पर वो किराया देकर अपने समान सहित सवार होकर अपने गांव जा रहे थे। रास्ते में पीकअप पलटा खा गई। पीकअप के नंबर क्या थे व पीकअप को कोन चला रहा था मुझे ध्यान नहीं है। विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा के दौरान उक्त गवाह ने कथन किए हैं कि यह कहना गलत है कि पीकअप नंबर आरजे 10 जीए 7943 के चालक रामगोपाल ने अपने वाहन को तेज गति व लापरवाही से चलाकर पीकअप को पलटा खिला दिया हो और जिस कारण पीकअप में सवार सवारियों के चोटे आई हो। यह कहना सही है कि रामगोपाल से मेरा राजीनामा हो गया है। विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा के दौरान उक्त गवाह ने कथन किए हैं कि सद्धाम मेरा भांजा लगता है जो अभी विदेश रहता है और आने वाले दो चार साल वह विदेश ही रहेगा।

10. विचारणीय प्रश्न के संबंध में पत्रावली पर आई समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि, परिवादी आमीन की लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी–6 के आधार पर हस्तगत प्रकरण संस्थित किया गया था। लिखित रिपोर्ट

प्रदर्श पी–6 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि, वरवक्त दुर्घटना तथाकथित वाहन में परिवादी आमीन के साथ बिस्मिला, सुमैया, खतीजा, मुस्कान, फातमा व मदीना मौजूद थे तथा दुर्घटना के परिणामस्वरूप फातमा व मदीना की मृत्यु हो गई एवं अन्य के शरीर पर चोटें आई। अतः प्रकरण में परिवादी आमीन, बिस्मिला, सुमैया व मुस्कान, सम्पूर्ण घटना व लिखित रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों की पुष्टि के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण व उचित गवाहान है। उक्त गवाहान में से अभियोजन पक्ष द्वारा पी.डब्ल्यू.–6 आमीन, पी.डब्ल्यू.–7 खातीजा, पी.डब्ल्यू.–8 सुमैया व पी.डब्ल्यू.–10 बिस्मिला को पेश कर परीक्षित करवाया गया है। उक्त चारों गवाहान वरवक्त घटना तथाकथित दुर्घटनाग्रस्त वाहन में सवार थे तथा स्वयं आहत होने के आधार पर प्रकरण में अहम गवाहान है, जो कि न्यायालय के समक्ष पूर्णतया पक्षद्रोही घोषित हुए है। सर्वप्रथम, गवाह पी.डब्ल्यू.–6 आमीन की साक्ष्य के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि उक्त गवाह द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में पिकअप के पलट जाने बाबत् तो कथन किये है, परंतु पिकअप के नंबर व चालक के संबंध में पूर्णतया अनभिज्ञता जाहिर की है। विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा के दौरान उक्त गवाह इस सुझाव को गलत होना बतलाकर आ रहा है कि पिकअप संख्या आरजे10 जीए 7943 के चालक रामगोपाल ने अपने वाहन को तेजगति व लापरवाही से चलाकर पिकअप को पलटा खिला दिया और जिस कारण पीकअप में सवार सवारियों के चोटें आई हो। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा के दौरान उक्त गवाह प्रदर्श पी–1 व प्रदर्श पी–14 पर खाली कागजों पर हस्ताक्षर करने के संबंध में कथन करता है। अपनी साक्ष्य में उक्त गवाह द्वारा अभियुक्त से राजीनामा हो जाने बाबत् भी स्पष्ट कथन किये है। इस प्रकार प्रकरण के महत्वपूर्ण गवाह स्वयं परिवादी द्वारा भी अपनी साक्ष्य में अभियुक्त के विरुद्ध किसी प्रकार के कोई कथन नहीं किये है, जो कि अभियोजन कहानी पर संदेह उत्पन्न करता है।

इसी क्रम में प्रकरण के अन्य महत्वपूर्ण चक्षुदर्शी गवाहान/आहतगण पी.डब्ल्यू.–7 खातीजा, पी.डब्ल्यू.–8 सुमैया व पी.डब्ल्यू.–10 बिस्मिला के बयानात के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि उक्त गवाहान भी न्यायालय के समक्ष पूर्णतया पक्षद्रोही घोषित हुए है। उक्त समस्त गवाहान द्वारा परिवादी पी.डब्ल्यू.–4 आमीन के कथनों की पुष्टि करते हुए एक स्वर में अपनी मुख्य परीक्षा में पिकअप के नंबर व पिकअप

के चालक के संबंध में ध्यान नहीं होने बाबत् स्पष्ट कथन करते हैं। दौराने प्रतिपरीक्षण उक्त गवाहान एक स्वर में, पिकअप नंबर आरजे10 जीए 7943 के चालक रामगोपाल द्वारा वाहन केा तेजगति व लापरवारही से चलाकर पिकअप को पलटा खिला देने व पिकअप में सवार सवारियों के चोट आने, के तथ्य को स्पष्टतया गलत होना बतलाकर आ रहे हैं। इसके अलावा उक्त समस्त महत्वपूर्ण गवाहान द्वारा भी अभियुक्त से राजीनामा हो जाने के तथ्य की पुष्टि की है। यहां यह उल्लेखनीय है कि जाहं स्वयं समस्त आहतगत, जो कि वरवक्त घटना दुर्घटना कारित करने वाले वाहन में सवार थे, ही अभियुक्त के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई विशिष्ट कथन नहीं करके आ रहे हैं, वहां अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध घोषित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार उपरोक्त समस्त महत्वपूर्ण चक्षदुर्शी साक्षीगण के बयानात के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उक्त गवाहान द्वारा अपनी साक्ष्य में अभियुक्त रामगोपाल के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई विशिष्ट कथन नहीं किया है, बल्कि दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के नंबर व चालक के संबंध में ही पूर्णतया अनभिज्ञता जाहिर की है, इसलिए उक्त गवाहान की साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को आरोपित अपराध से नहीं जोड़ा जा सकता है।

11. इसके अतिरिक्त, अभियोजन पक्ष द्वारा दो अन्य गवाहान पी.डब्ल्यू.–1 नूर मोहम्मद व पी.डब्ल्यू.–11 सलीम को भी पेश कर परीक्षित करवाया गया है। उक्त दोनों गवाहान के बयानात के अवलोकन से यह सपष्ट है कि उक्त दोनों ही गवाहान वरवक्त घटना मौका पर मौजूद नहीं थे। गवाह पी.डब्ल्यू.–1 नूर मोहम्मद, जो कि नक्शा मौका का गवाह है, दौराने प्रतिपरीक्षण एक्सीडेंट होते हुए नहीं देखने व घटना के बाद अस्पताल जाने बाबत् स्पष्ट कथन किये हैं। इसी क्रम में गवाह पी.डब्ल्यू.–11 सलीम, जो कि न्यायालय के समक्ष पक्षद्रोही घोषित हुआ है, के द्वारा भी अपनी साक्ष्य में दुर्घटना कारित करने वाली पिकअप के नंबर व चालक का नाम उसे पता नहीं होने के संबंध में दौराने प्रतिपरीक्षण इस सुझाव को गलत होना बतलाया है कि पिकअप संख्या आरजे10 जीए 7943 के चालक रामगोपाल ने अपने वाहन को तेजगति व लापरवाही से चलाकर पिकअप को पलटा खिला दिया हो और जिस कारण पिकअप में सवार सवारियों के चोटें आई हो। अतः उक्त दोनों गवाहान की साक्ष्य में भी ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया है, जिसके आधार पर अभियुक्त रामगोपाल को आरोपित अपराध से जोड़ा जा सके।


Authenticated Document

इसके अतिरिक्त पत्रावली पर पेश कर परीक्षित करवाये गये अन्य गवाहान केवल मात्र औपचारिक साक्षीगण है। जहां घटना के महत्वपूर्ण चक्षुदर्शी गवाहान न्यायालय के समक्ष पक्षद्रोही घोषित हुए है, जिनकी साक्ष्य से यह तथ्य प्रमाणित नहीं हो पाया है कि वरवक्त घटना तथाकथित वाहन बस को अभियुक्त रामगोपाल द्वारा ही संचालित किया जाकर दुर्घटना कारित की गई हो, वहां केवल मात्र औपचारिक साक्षी की साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध किसी प्रकार की दोषसिद्धी कायम नहीं की जा सकती है।

12. फलतः उपरोक्त समग्र विवेचन के आधार पर न्यायालय के विनम्र मत में पत्रावली पर ऐसी कोई सारवान साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि "अभियुक्त रामगोपाल ने दिनांक 24.11.2015 को समय करीब 02.00 पी.एम. पर गांव घड़सीसर बस स्टेण्ड से चार–पांच किलोमीटर, लूणकरणसर से सरदारशहर जाने वाले लोकमार्ग पर वाहन पिकअप संख्या आरजे10 जीए 7943 को उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापित करते हुए उक्त वाहन को सड़क पर पलटा दिया और उक्त वाहन में सवार बिस्मिला, मुस्कान, खतीजा व सुमैया के शरीर पर उपहतियां कारित की एवं फातमा व मदीना की आपराधिक मानव वध की कोटी में नहीं आने वाली मृत्यु कारित की।" इस प्रकार अभियुक्त रामगोपाल को अरोपित अपराध अंतर्गत धारा 279, 337, 304ए भारतीय दंड संहिता में साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

## – आदेश –

13. अतः **अभियुक्त रामगोपाल पुत्र ओमप्रकाश, निवासी ढाणी देगां, पुलिस थाना सरदारशहर जिला चूरू (राज.) को आरोपित अपराध अंतर्गत 337 भारतीय दंड संहिता में आहतगण आमीन, खतीजा, सुमैया व बिस्मिला की हद तक जरिये राजीनामा व अन्य आहत की हद तक साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ दिया जाकर** एवं **धारा 279, 304ए भारतीय दंड संहिता में साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।** अभियुक्त के नियमित उपस्थिति बाबत् पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

हस्तगत मामले में जप्तशुदा वाहन बस संख्या आरजे10 जीए 7943 प्रार्थी रामगोपाल को को सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा पर दिया गया था, जो सुपुर्ददार के पास रहे तथा सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा बाद गुजरने मियाद अपील स्वतः ही निरस्त समझे जावे।

अपील की अपेक्षा के अध्याधीन, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437(क) के अंतर्गत अभियुक्त, माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने हेतु छः माह की अवधि के लिए राशि 10 हजार रुपए का व्यक्तिगत बंध–पत्र व इसी राशि की एक प्रतिभू इस न्यायालय में प्रस्तुत करेगा।

**(निधि बेनीवाल, RJS)**
न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरदारशहर,
जिला चूरू (राज.)

14. निर्णय आज दिनांक 07.03.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में बाद हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकन सुनाया गया।

**(निधि बेनीवाल, RJS)**
न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरदारशहर,
जिला चूरू (राज.)

Digitally signed by
SURESH UPADHYAY
Location: JM Court,
Sardarshahar Dist. Churu
Date: 2026.03.09
15:26:21 +0530